A LEAFERD

## न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0-259/16

संस्थित दिनाँक-12.05.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०) ......**अभियोगी** 

## विरुद्ध

\_\_:: निर्णय ::— {आज दिनांक 12.10.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 10.12.15 को करीब 2:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड 92 पेट्रोल पंप के सामने सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0 07 एच0बी0 6004 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 10.12.2015 को रात्रि 2:30 बजे के करीब भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग क0 92 पर पेट्रोल पंप के सामने बंजारापुरा के पास फरियादी भारत पाल अपने डंफर क0 एम0पी0 07 जी0एच0 4368 से ग्वालियर से भिण्ड तरफ जा रहा था और डंफर को पेट्रोल पंप के सामने सड़क के बगल से खड़ा कर दिया तभी पेट्रोल पंप से खाली ट्रक यू0पी0 75 एम 1067 का चालक पेट्रोल पंप से ट्रक को सड़क पर चढ़ाने लगा तभी भिण्ड तरफ से एक ट्रक कमांक एम0पी0—07 एच0बी0 6004 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और पहले ट्रक क0 यू0पी0 75 एम 1067 में टक्कर मारी बाद में फरियादी के डंफर एम0पी0 07 जी0एच0 4368 में टक्कर मार दी जिससे डंफर में बैठे देवेन्द्रसिंह के दोनों पैरों में चोट आई, इसके बाद टक्कर मारने वाला ट्रक पलट गया। उक्त ट्रक में बैठी एक सवारी को भी सिर व कान में चोट आई। उक्त आशय की सूचना से गोहद अस्पताल में देहाती नालिसी लेख की गयी, आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण

कराया गया। अपराध क0 281/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं झूंटा फंसाया जाना बताया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —
  1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.12.15 को करीब 2:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड 92 पेट्रोल पंप के सामने सार्वजिनक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0 07 एच0बी0 6004 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

## <u>—ः: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में प्रीतमिसंह बघेल अ०सा० 1, रामकरन शर्मा अ०सा० 2, डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 3, देवेन्द्रपाल अ०सा० 4, भारत अ०सा० 5, रामकुमार पाठक अ०सा० 6, इस्ताक खां अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. प्रकरण में सूचनाकर्ता भारत अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि डेढ साल पहले सर्दी के दिसंबर महीने की बात है, वे डंफर पर चालक होकर विलोआ से गट्टी भरकर इटावा जा रहे थे, उनके साथ देवेन्द्र भी था। बिरखडी पंप पर पहुंचकर उन्होंने आराम किया। वे तथा देवेन्द्र डंफर में सो रहे थे तभी मेहगांव तरफ से एक एल०पी० ट्रक आया उसने पहले दूसरे ट्रक में टक्कर मारी फिर फरियादी के डंफर से टकरा गया और आगे जाकर पलट गया। साक्षी घटना कर्ता ट्रक का नंबर पता न होना बताते हैं। साक्षी यह भी नहीं बताते कि दुर्घटनाकारक वाहन कैसे चल रहा था और उसे कौन चला रहा था। साक्षी यह कथन करते हैं कि वे उस समय सो रहे थे इसलिए नहीं पता कि ट्रक कैसे चल रहा था। साक्षी देहाती नालिसी गोहद अस्पताल में लिखाना बताते हैं और प्र०पी० 5 की देहाती नालिसी के ए से ए भागपर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं किन्तु दुर्घटनाकारक वाहन का नंबर एवं उसके चालक द्वारा चलाने की रीति के संबंध में मुख्य परीक्षण में कथन नहीं करते इस कारण अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी द्वारा सुझाव से इंकार किया कि ट्रक क० एम०पी०-०७ एच०बी० ६००४ के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर अन्य दो वाहनों में टक्कर मार दी। साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में देहाती नालिसी प्र०पी० 5 एवं पुलिस कथन पी० 7 के विनिर्दिष्ट भाग के तथ्यों को लिखाए जाने से स्पष्टतः इंकार किया है।

- 8. आहत देवेन्द्र पाल अ०सा० 4 भी अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे विरखडी पेट्रोल पंप के पास भारत के साथ डंफर में सो रहे थे तब बिलोआ ग्वालियर तरफ से एक ट्रक आया जिसने पहले दूसरे ट्रक में बाद में उसके डंफर में टक्कर मार दी। साक्षी उक्त दुर्घटनाकारक वाहन का नंबर पता न होने का कथन करते हैं और यह बताते हैं कि वे सो रहे थे इसलिए नहीं पता कि डंफर कैसे चल रहा था। इस्ताक खां अ०सा० ७ भी अपने मुख्य परीक्षण में बताते हैं कि वे सो रहे थे जब घटना कारित हुई। साक्षी सूचक प्रश्न में यह तथ्य स्वीकार करता है कि वे अपने भाई के साथ ट्रक क० एम०पी० ०७ एच०बी०-6004 से ग्वालियर जा रहे थे किन्तु इस तथ्य के संबंध में अनिभन्नता व्यक्त करते हैं कि अभियुक्त द्वारा हाइवे पर चढने वाले एक ट्रक में टक्कर मार दी। उक्त साक्षियों ने उनके पुलिस कथन कमशः प्र०पी० 4 एवं 11 में विनिर्दिष्ट तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से घटना के सर्वोत्तम साक्षी आहतगण द्वारा किस वाहन चालक के उपेक्षा व उतालवेपनपूर्ण कार्य से दुर्घटना कारित हुई, इसके संबंध में सारवान कथन नहीं किया है।
- 9. प्रकरण में अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रीतमिसं बघेल अ०सा० 1 को प्रस्तुत किया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि रात 2—3 बजे की बात है एक डंफर खडा था, एक एल०पी० गाडी पेट्रोल पंप से निकली अन्य एल०पी० गाडी जो भिण्ड से आ रही थी वह तेज थी उससे टकराई फिर डंफर से टकराई। साक्षी किसी भी वाहन का कोई नंबर बताने में अस्मर्थ है, प्रतिपरीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ है कि कौनसी गाडी कौन चला रहा था इसका उसे ज्ञान नहीं हैं, वह आरोपी को नहीं पहचानता और उसने कभी आरोपी को नहीं देखा। इस प्रकार से चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा भी अभियुक्त की संलिप्तता का कोई समर्थन नहीं किया है।
- 10. प्रकरण में साक्षी रामकरन अ०सा० 2 मैकेनिकल जांचकर्ता हैं जो कि दिनांक 23.12.15 को वाहन की मेकेनिकल जांच किए जाने का कथन करते हैं। वाहन एम०पी० 07 एच०बी०—6004 में क्लीनर साईड में हैड लाईट व इण्डीकेटर क्षतिग्रस्त होने, क्लीनर साईड में गेट, मडगार्ड, सामने का कांच क्षतिग्रस्त होने का कथन करते हैं, शेष सभी सिस्टम सही काम करने का समर्थन करते हैं। प्रकरण में विवेचक रामकुमार पाठक अ०सा० 6 प्रकरण की विवेचना प्राप्त होने का कथन करते हैं। विवेचना में दिनांक 23.12.15 को अभियुक्त को गिर० करने एवं वाहन एमपी० 07 एचबी० 6004 को जब्तकर जब्ती पत्रक प्र०पी० 8 बनाए जाने का कथन करते हैं। जब्तीपत्रक घटना दिनांक से लगभग 13 दिवस पश्चात् गोहद चौराहा पर तैयार किया गया है, घटनास्थल पर कथित वाहन जब्त किए जाने का अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं। ऐसे में यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि उक्त वाहन से दुर्घटना कारित हुई तो भी उक्त वाहन उपेक्षा व उतावलेपनपूर्ण रीति से अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, इस संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं, मात्र अभियुक्त से जब्ती के तथ्य से अपराध प्रमाणित नहीं हो जाता है। डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 3 की साक्ष्य राजीनामा

के कारण गौण व महत्वहीन हो जाती है।

- 11. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। प्रकरण में आहतगण एवं चक्षुदर्शी द्वारा अभियुक्त की संलिप्तता को प्रमाणित नहीं किया है। जहां तक देहाती नालिसी प्र0पी० 1, पुलिस कथन कमशः प्रपी० 4, 7, 11 का प्रश्न हैं तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते उनका उपयोग साक्षियों के पूर्व कथन के रूप में संपुष्टि एवं विरोधाभास तथा लोप के संबंध में किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के बिरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनंक 10.12.15 को करीब 2:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड 92 पेट्रोल पंप के सामने सार्वजनिक स्थान पर वाहन कमांक एम०पी० 07 एच०बी० 6004 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12. अभियुक्त के जमानत व मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 13. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 14. अभियुक्त की निरोधावधि यदि हो तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ा ए०के० गुप्ता १थम श्रेणी न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी मध्यप्रदेश गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश